[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 53/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि...........(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2006-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 91(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के सभी माल जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, भारत में वैसे ही माल के विक्रय या क्रय या परिवहन पर उद्ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्यवर्धित कर, स्थानीय कर और अन्य करों या प्रभारों को ध्यान में रखते हुए चार प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के लिए दायी होंगे ।

सारणी

क्र. सं.	पहली अनुसूची का अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2709 00 00	अपरिष्कृत पेट्रोलियम
2.	2710	सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रिट
3.	2710	उच्च गति डीजल (एचएसडी)
4.	2710 19 20	एविएसन टर्बाइन फ्यूल
5.	2711 11 00 2711 21 00	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार